भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

35

Arb-B15/-2

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००१ निगरानी

R-1465-I/2001

लखपति देव पाण्डेय पुत्र श्री ददनराम पाण्डेय, निवासी ग्राम सटखरी, तहसील सिंगरौल, जिला सीधी, म०प्र० -- प्रार्थी

विरुद्ध

१। श्री ददनराम पुत्र ददई राम पाण्डेय

२। श्री कृष्णादेव पुत्र श्री ददनराम पाण्डेय

३। श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री ददनराम पाण्डेय

४। बुद्धिराम पाण्डेय पुत्र श्री ललकराम पाण्डेय

५। नारायण देव पाण्डेय पुत्र श्री ललकराम पाण्डेय

६। [illegible]राम पुत्र श्री ददईराम पाण्डेय

सभी निवासीगण ग्राम सटखरी, तहसील सिंगरौली, जिला सीधी, म०प्र०

---- प्रतिप्रार्थीगण

श्री .... द्वारा आज दि० 6/8/2001 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

6 AUG 2001

[illegible] 6/4/2001

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग दिनांक १३-७-२००१ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९। प्रकरण क्रमांक ४०३/९९-२००० अपील।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपीलीय न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं हैं।

(२) यहकि अपीलीय न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

(३) यहकि अपीलीय न्यायालयों ने बिना समुचित जांच के स्वत्वांय के सम्बन्ध में आदेश देने में भूल की है।

(४) यहकि मौके की स्थिति के अनुसार एवम् प्रस्तुत साक्ष्य आधार पर विवादित भूमि पर प्रार्थी का मकान बना हो कर उसका कब्जा है तथा अन्य आराजी क्रमांक २१३० व २१३१

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1465–एक/01 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–12–16	आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 403/अपील/1999–00 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2001 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप्त में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ मैंने आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। आवेदक ने अपने तर्क में बताया है कि अपीलीय न्यायालयों ने अपने कर्त्तव्यों का समूचित निर्वहन नहीं किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय होने के नाते अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण के तथ्यों एवं कानूनी बिन्दूओं पर समुचित विचार कर निर्णय देना चाहिये था। ऐसा न करने से उनका आदेश त्रुटिपूर्ण है। ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश को एवं जब प्रारंभिक न्यायालय व अपीलीय न्यायालय के निर्णय एक–दूसरे के विपरीत थे, तब द्वितीय अपील में अपर आयुक्त को सम्पूर्ण साक्ष्य एवं आपत्तियों पर विचार कर निर्णय देना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने इन विधिक बिन्दुओं पर	

ध्यान न देते हुये अवैधानिक आदेश पारित किया है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

4/ प्रकरण में प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजों का अध्ययन किये जाने पर विदित होता है कि विवादित आराजी क्रमांक 2129 का बना मकान शामिल सरीक है एवं इस पर आवेदक के साथ–साथ उसके दोनों भाईयों का हिस्सा है। यह तथ्य आवेदक के पिता ददनराम पाण्डेय ने भी स्वीकार किया है कि आराजी क्रमांक 2129 पैत्रिक भूमि है, जिस पर ददनराम के जीनों पुत्र आबाद है। पटवारी प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा में स्पष्ट लिखा है कि इस महान में दोनों भाईयों का हिस्सा है। स्थल पंचनामा में आवेदक व अनावेदक क्र0 3 श्यामसुन्दर के कमरों में ताला लगा हुआ दशार्या गया है। मूल प्रकरण के साथ संलग्न गवाह ददनराम तथा कैमलाराम के बयान से भी उक्त स्थिति स्पष्ट होती है। इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है है कि आराजी क्र0 2129 पर बने हुये मकान में ददनराम के तीनों पुत्र आवेदक स्वयं एवं अनावेदक क्र0 2 व 3 का शामिल सरीक हिस्सा है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरौली ने न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र0 62/अ–6–अ/97–98 में पारित आदेश दिनांक 05.10.1998 विधि के विपरीत मानते हुये, अपने आदेश दिनांक 22.05.2000 से निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरौली ने जो आदेश पारित किया है, उस आदेश को अपर आयुक्त

रीवा ने स्थिर रखा है। मैं अपर आयुक्त रीवा के आदेश से सहमत हूँ ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.01 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य